रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 523] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1975/पौष 10, 1897
No. 523] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1975/PAUSA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1975

S.O. 744(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Prevention of Publication of Objectionable Matter Ordinance, 1975 (28 of 1975), the Central Government hereby appoints all District Magistrates, under section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), as competent authorities for the purposes of the said Ordinance and specifies that the local limits of their respective jurisdictions as such District Magistrates shall be the local limits of their respective jurisdictions as such competent authorities.

[No. F. 28/2/75-Press.]

S. RAMASWAMY, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975

का० आ० 744(अ).—आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक अध्यादेश, 1975 (1975 का 28) के खण्ड 4 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिजर, 1973 (1974 का 2) के खण्ड 20 के अन्तर्गत, सभी जिला मजिस्ट्रेटों को उक्त अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है और यह विनिर्दिष्ट करती है कि जिला मजिस्ट्रेटों के रूप में उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार में जो स्थानीय सीमाएं आती हैं वही स्थानीय सीमाएं सक्षम प्राधिकारियों के रूप में उनके क्षेत्राधिकार में होंगी।

[सं० एफ० 28/2/75-प्रैस]

एस० रामास्वामी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975